पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जून, 2022 ई0 (आषाढ़ 04, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–26

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	585–587	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	635–640	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	147–170	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–3 (मत्स्य)

कार्यालय–ज्ञाप

22 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या 237(i)/XV-3/2022-11(15)/2021–मत्स्य विभागान्तर्गत सहायक निदेशक, वेतनमान रू0 56,100–1,77,500 (लेवल–10) के 01 रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नति द्वारा चयन कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा गठित चयन समिति की दिनांक 22 फरवरी, 2022 को आहूत चयन समिति की बैठक/संस्तुति दिनांक 02 मार्च, 2022 के आधार पर श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक को सहायक निदेशक मत्स्य, वेतनमान रू0 56,100–1,77,500 (लेवल–10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। उक्तानुसार सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर पदोन्नत श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह की तैनाती आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

चिकि. स्वा. एवं चिकि. शिक्षा अनुभाग–2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

30 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या 372/XXVIII-2-2022-76/2015 टी0सी0–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 35400–112400 पे–मैट्रिक्स लेवल–06 के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के रिक्त पदों पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. श्री आर0 एस0 कपकोटी
2. श्री एन0 सी0 पाठक
3. श्री सौकार सिंह नेगी
4. श्री अनन्त कुमार पयाल
5. श्री नवीन चन्द्र थपलियाल
6. श्री के0 सी0 नैलवाल
7. श्री हेम चन्द्र तिवारी
8. श्री टी0 सी0 पाण्डे
9. श्री एच0 डी0 सती
10. श्री दिनेश कुमार चमोली
11. श्री सत्येन्द्र सिंह भण्डारी
12. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे
13. श्री एम0 एम0 नौटियाल
14. श्री चन्द्र भूषण बलूनी
15. श्री जे0 सी0 देवराडी
16. श्री विक्रम सिंह नेगी
17. श्री एच0 सी0 पोखरिया
18. श्री पी0 डी0 रतूड़ी
19. श्री सुभाष सेमवाल
20. श्री चन्द्र किशोर धूलिया
21. श्री मोहन सिंह असवाल
22. श्री पी0 एस0 गुसाई
23. श्री बुद्धि सिंह राणा
24. श्री हरीश चन्द्र बुडाकोटी
25. श्री भगवान सिंह परमार
26. श्री माधवानन्द उनियाल
27. श्री एम0 सी0 जोशी
28. श्री अनन्तराम बिजल्वान
29. श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार
30. श्री चन्द्रजीत सिंह असवाल

31. श्री जगदम्बा भट्ट
32. श्री भारतेन्दु पाण्डे
33. श्री जी0 एस0 नेगी
34. श्री बी0 एस0 नकोटी
35. श्री अशोक कुमार पाण्डे
36. श्री बी0 पी0 बधानी
37. श्री जगदीश चन्द्र पाठक
38. श्री एम0 सी0 पंत
39. श्री विनोद सिंह नेगी
40. श्री एम0 एम0 बिष्ट
41. श्री हीरा सिंह परिहार
42. श्री दिनेश चन्द्र जोशी
43. श्री डी0 पी0 सिंह
44. श्रीमती शशि बिष्ट
45. श्री एन0 बी0 तिवारी
46. श्री हरीश चन्द्र तिवारी
47. श्री हरीश चन्द्र चौनाल
48. श्री बी0 एन0 बेलवाल
49. श्री एच0 सी0 पपनोई
50. श्री जगदीश प्रसाद बाजपेयी
51. श्री प्रदीप कुमार उनियाल
52. श्री विनोद कुमार भट्ट
53. श्री डी0 एस0 गंगोला
54. श्री के0 एन0 पंत
55. श्री आर0 एस0 ऐरी
56. श्री आर0 डी0 कत्यूरा
57. श्री डी0 के0 जोशी
58. श्री हरि राम

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

05 मई, 2022 ई0

संख्या 374/XXVIII-2-2022-76/2015 टी0सी0/2005—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान ₹ 35,400—1,12,400 पे—मैट्रिक्स लेवल—06 के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान ₹ 56,100—1,77,500 पे—मैट्रिक्स लेवल—10 के रिक्त पद पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(1). श्री ललित वर्मा।

(2). श्री ओम प्रकाश खत्री।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

गरिमा रौकली,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/367—भाग 1—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जून, 2022 ई0 (आषाढ़ 04, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

23 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1568/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA03-2027 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 863232 इंजन न0 B71104SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन शफीक पुत्र शाहबदुल्ला निवासी–ग्राम–मनिहारगोठ, टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.04.2022 को वाहन संख्या UA03-2027 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 863232 इंजन न0 B71104SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1577/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या USI-2017 (HGV) मॉडल 1968 चैचिस VPJ1544B इंजन न0 101095164 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मुजीब हुसैन पुत्र श्री अजीज हुसैन निवासी–मकान संख्या 66 ग्राम–मनिहारगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या USI-2017 (HGV) मॉडल 1968 चैचिस VPJ1544B इंजन न0 101095164 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1578/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UP02-7261 (HGV) मॉडल 1996 चैचिस 82VPJ26749P इंजन न0 B319825VF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री भूवन सिह करायत पुत्र श्री हर सिंह करायत निवासी–मकान संख्या 76 ग्राम–आमबाग, पोस्ट–टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UP02-7261 (HGV) मॉडल 1996 चैचिस 82VPJ26749P इंजन न0 B319825VF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1582/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA0017 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 98VFJ77293P इंजन न0 USH107997 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उवेश हुसैन पुत्र मोहम्मद अली निवासी–मनिहारगोठ पोस्ट–टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 13/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UK03CA0017 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 98VFJ77293P इंजन न0 USH107997 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1583/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA03-1888 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 88VFJ50183P इंजन न0 SVFB83295 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह निवासी–मकान संख्या 48 ग्राम–तल्लीछीनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UA03-1888 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 88VFJ50183P इंजन न0 SVFB83295 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1584/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UP314480 (MGV) मॉडल 1995 चैचिस 81VFJ25856 इंजन न0 P5002SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन माजिद हुसैन पुत्र जाहिद हुसैन निवासी–मनिहारगोठ, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UP314480 (MGV) मॉडल 1995 चैचिस 81VFJ25856 इंजन न0 P5002SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1592/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या USZ9311 (HGV) मॉडल 2005 चैचिस 79VFJ4477 इंजन न0 A082745VF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन जफरुद्दीन पुत्र कसरुद्दीदन निवासी––मनिहारगोठ, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या USZ9311 (HGV) मॉडल 2005 चैचिस 79VFJ4477 इंजन न0 A082745VF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1593/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA4977 (HGV) मॉडल 2002 चैचिस 373141KXZ004195 इंजन न0 697TC48KXZ112710 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी–गैंडाखाली वार्ड नम्बर 03 पोस्ट एण्ड तहसील टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UK03CA4977 (HGV) मॉडल 2002 चैचिस 373141KXZ004195 इंजन न0 697TC48KXZ112710 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1613/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK035863 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 89VFJ56251P इंजन न0 B65872SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन तनवीर हुसैन पुत्र फरीद हुसैन निवासी–मनिहारगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.04.2022 को वाहन संख्या UK035863 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 89VFJ56251P इंजन न0 B65872SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1619/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA032076 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 89VFJ56597P इंजन न0 SVF088298 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन विलायत हुसैन पुत्र मो0 बक्स निवासी–मनिहारगोठ, पोस्ट टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.04.2022 को वाहन संख्या UA032076 (HGV) मॉडल 2003 चैचिस 89VFJ56597P इंजन न0 SVF088298 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1649/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA095385 HPV मॉडल 2004 चैचिस WVE518683 इंजन न0 WVE387236 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री बृजेश कुमार गुप्ता निवासी–मकान संख्या 44 शास्त्री नगर टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को वाहन संख्या UA095385 HPV मॉडल 2004 चैचिस WVE518683 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1651/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UP290934 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस 373043KQQ008415 इंजन न0 697921KQQ130988 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री नरेन्द्र किशन शारदा पुत्र श्री सुरेन्द्र किशन शारदा निवासी–वार्ड नम्बर 07 सिमेण्ट रोड, पोस्ट एण्ड तहसील–टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को वाहन संख्या UP290934 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस 373043KQQ008415 इंजन न0 697921KQQ130988 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1652/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA0258 (HGV) मॉडल 2010 चैचिस MAT373145A1H29226 इंजन न0 697TC56HZY125396 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मैर्सस टनकपुर फीलिंग स्टेशन टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 01/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को वाहन संख्या UK03CA0258 (HGV) मॉडल 2010 चैचिस MAT373145A1H29226 इंजन न0 697TC56HZY125396 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1653/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK04CB4537 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 373145DSZ115651 इंजन न0 697TC56DSZ122891 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री गोविन्द सिंह देउपा पुत्र श्री चंचल सिंह देउपा निवासी–पचपकरिया पोस्ट–चन्दनी तहसील टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को वाहन संख्या UK04CB4537 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 373145DSZ115651 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1654/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA07M6993 BUS मॉडल 2005 चैचिस 412052LUZ139924 इंजन न0 50L62436407 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मो. मोहसिन पुत्र स्व0 मोहम्मद सुलेमान निवासी–मनिहारगोठ टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 19/02/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2022 को वाहन संख्या UA07M6993 BUS मॉडल 2005 चैचिस 412052LUZ139924 इंजन न0 50L62436407 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

05 मई, 2022 ई0

पत्रांकः–1672/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03B2142 (LMV CAR) मॉडल 2017 चैचिस MBHEWB22SHG145155 इंजन न0 K12MN4303356 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री मनोज सिंह देव पुत्र श्री आनन्द सिंह देव निवासी–ग्राम–कलदेव कर्णकरायत, झूलनदेव चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 05.05.2022 को वाहन संख्या UK03B2142 (LMV CAR) मॉडल 2017 चैचिस MBHEWB22SHG145155 इंजन न0 K12MN4303356 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/367–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जून, 2022 ई0 (आषाढ़ 04, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपने पुत्र का नाम वेद एम0 घिल्डियाल/वेद ममगांई घिल्डियाल से बदलकर वेद ममगांई (Ved Mamgain) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को वेद ममगांई (Ved Mamgain) के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

(पल्लवी ममगांई)
पुत्री श्री जे0पी0 ममगांई,
निवासी म0नं0 5, गली नं0 3,
वसन्त विहार एन्क्लेव,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के हाईस्कूल के शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों में उसका नाम इण्डिया अलवीरा चौधरी दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक नाम अलवीरा चौधरी है। भविष्य में मेरी पुत्री को अलवीरा चौधरी पुत्र आर0 चौधरी नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

आर0 चौधरी पुत्र स्व0 खैराती चौधरी
निवासी मौहल्ला जवाहर नगर, टनकपुर रोड़,
हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी

22 फरवरी, 2022 ई0

संख्या–829/न0पा0प0–02/2021–22/पौड़ी–नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल सीमांतर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 की उपधारा–1 (ii) (iii) अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2021 बनाई जाती है जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, हेतु, निम्न प्रकार नियमावली का गठन करते है।

अध्याय-1
सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2021 कहलाएगा।

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल के सरकारी गज़ट उत्तराखंड मे प्रकाशित होने से प्रभावी होंगे।

2- ये उप-नियम नगर पालिका पौड़ी गढ़वाल की सीमाओ के भीतर लागू होंगे।

1- प्रसंग:

यह महत्वपूर्ण है की एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलो मे/ सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/ फेकल सलज सेप्टीक टेंट, गड्ढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति:

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार "राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 घोषित की है जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओ का समस्त क्षेत्र सुरक्षित औरस्थायी सफाई हो सके।

1.2 उत्तराखंड मे सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल:

नगर पालिका परिषद पौड़ी मे "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टेंक मे एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निशुल्क किसानो मे वितरित की जाएगी जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा इसके लिए प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया है ताकि इसका अनुपाल शहरों/नगरों मे हो सके आदेश सं 597/ 4 (2)- यू0डी0-2017-50/16, दि0 22.05.2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल पौड़ी शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेण्ट सेल का आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितीकरण:

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा0 सं0 ---------- एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद पौड़ी के नियमित ढाँचा रिक्त करने एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत जो कि यहा स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है

3. उदेश्या एवं कार्यक्षेत्र :

नियमावली के उदेश्या एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है:

1. निर्माण, से सेप्टीक टैंक के दैनिक रख रखाव और शौचालय के गढ़े परिवहन इलाज और सुरक्षित रख रखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से संबन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़े से फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से संबन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल एवं सेप्टेज प्रबंध मे सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1 सेप्टीक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

- सेप्टीक टैंक की तली मे जो जमा हो गया है उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई मे पहुँच गया है या बार बार के आखिर मे जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक मे जो द्रव्य है उसको भी सुखाना मैकेनिकल वेक्यूम टेन्कर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल मे वर्णित है को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहन :

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्ट वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे

2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वसन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किए जाएंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग मे लाया जाएगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेण्ट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक पालिका पौड़ी कि अपनी कोई इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 29 किमी दूर अंतर्गत स्तिथ श्रीनगर के उत्तराखंड जल संस्थान के एस0टी0पी0 मे परिवहन किया जाएगा भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किए जाएंगे।

5. सुरक्षा उपाय:

1. उचित तकनीकी संयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मल निस्तारणकिया जाएगा फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मलनिस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रोन गलब्स, रबड़, बूट, चेहरे का मास्क और आंखो की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले

अपना लिया जाएगा इसके लिए जागरूकता भी की जाएगी इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप

और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी मे रखे जाएंगे जब सेप्टीक टैंक और पिट लैट्रिन मे काम चल रहा हो धूम्रपान वर्जित रहेगा।

2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टीक टैंक मे और शौचालय गढ़े मे प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा बच्चो को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाएगा एवं टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाए कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हौल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायो के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि

गाड़ियो के परिवहन हेतु होगा ये निजी व्यक्ति कोभी अपने इस कार्य मे उत्साहित करेंगे पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 मे संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलो मे जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारंम्भिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब.	नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़े जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि

यू0एल0बी0 मे फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम मे समय-समय पर दर्शाया गया है कि सेप्टेज टैंक के भरने, शौचालय के गढ़े परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र मे निरर्थक पानी के निष्कशन की प्रणाली उपलब्ध है जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से संबन्धित है उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा जो कि समय-समय पर इससे संबन्धित है ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किए जाए जो निम्नवत है।

उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित भवन/सेप्टेज टैंक मालिक से यू0एल0बी0 मे जमा किया जाएगा।

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जाएगी जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टेज टैंक और शौचालय के गढ़े से संबन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत :-

पालिका क्षेत्र मे सेप्टेज टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ़े या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टेज टैंक ओवर-प्लो तो नहीं हो रहा है तुरंत पालिका से सुपरवाईजर को भेज कर जाँच करवाएँगे इसके अलावा पालिका मेसेप्टिक टैंको को खाली कराने के आवेदन के आने पर पालिका द्वारा जाँच करायी जाएगी कि सेप्टेज टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे तसदीक होने पर निम्न शुल्क वसूला जाएगा।

1:-	पालिका के सीवर टैंकर की क्षमता	4000 लीटर
2:-	पालिका सीमा के बाहर	1- रू0 6000/- प्रति फेरा, तथा जल संस्थान एस0टी0पी0 प्रति फेरा शुल्क रू0 100/-अतिरिक्त रहेगा 2- दो फेरे होने पर शुल्क रू0 10000/- तथा जल संस्थान एस0टी0पी0 शुल्क रू 2000/- अतिरिक्त रहेगा। 3- भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा कराएगा। 4- सेप्टिक टैंक मे ज्यादा फ़िकल होने पर तीसरे फेरे की स्थिति होने के कारण संबन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात छूट प्रदान की जाएगी।

4:- पालिका द्वारा यह भी देखा जाएगा कि यदि कोई सेप्टेज टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि संबन्धित सेप्टेज टैंक मे 4000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नहीं भर पाएगा उपरोक्त निर्धारित दरो मे आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।

5:- पालिका द्वारा दी गयी उपर्युक्त दरे 2साल तक वैध मानी जाएंगी ततपश्चात बोर्ड प्रस्ताव उपरांत नयी दरे सृजित की जाएंगी

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना :

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ़े या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मलनिस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलगसे लगाया जाएगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद पौड़ी मे जमा की जाएगी।

[illegible] और [illegible] सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलायी जाएगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टेज टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक काएकत्रीकरण मशीनरी परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9. दंड

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते , फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट/आर0एन0एन0 का रजिस्ट्रीकरण न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियो का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष मे एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष मे दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष मे तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र मे खाली न करने पर	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवं जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

प्रदीप सिंह बिस्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल।

यशपाल बेनाम,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर

उपविधि

14 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या–1482/उपनियम/2020–21—नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर जनपद चमोली सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 128 की उपधारा–1(1)(2) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम–2021" बनायी जाती है। जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर जनपद चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम-2021 कहलाऐगा।

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2-ये उप-नियम नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर की सीमाओं के भीतर लागू होंगी।

1-प्रसंगः-

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्धन इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाय ताकि सेप्टेज/फेकल सलज सेप्टिक टैंक,गड्डे, शौचालय से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के श्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार "राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 घोषित की है जिसमें शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल

नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर में उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या डायजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाय और उसका उचित प्रबन्ध किया जाय। और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निशुल्क किसानों/कास्तकारों/अन्य व्यक्ति जो लेना चाहे में वितरित की जायेगी। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिए प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आदेश सं0-597/4(2)-यू0डी0-2017-50/16 दिनांक-22.05.2017 सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके। इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर शहर को दिग्दर्शन करना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रिकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2-नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितीकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर में नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है, फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और उसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3- उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्रः

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः-

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रख रखाव जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढो से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4-एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुँच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे। जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जा चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें। जैसा कि समय≤ पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देगें किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु तालाबंद रहेगा और मापदण्ड का अनुपालन करेगें।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य का परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निस्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर एक ईकाई होगी। तथा सेप्टेज सलज का निस्तारण उत्तराखण्ड जल संस्थान/जल निगम के निर्देशित नगर क्षेत्रान्तर्गत निर्मित एस0टी0पी0 में किया जायेगा।

5- सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी संयत्र, सुरक्षा, उपकरणा का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे कि समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा। इसके लिए जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र , मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगें। जब सेप्टिक टैंक और पिट में काम चल रहा हो धूम्रपान वर्जित रहेगा।

2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गढ्ढे में प्रवेश नहीं करेगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा एवं टैंक को स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाय। कर्मचारी सावधान रहेगें कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मैन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6-सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसैंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसैंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति जो भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेगें। पंजीकरण प्रपत्र पालिका द्वारा दिया जायेगा।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा जो कि एत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉलो में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी-1 पंजीकरण व्यय

अ-प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0-2000.00 प्रति गाड़ी
ब-नवीनीकरण	:	रू0-1500.00 प्रति गाड़ी

7-उपभोक्ता लागत और इसका संचय

7.1 इस क्षेत्र में समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय≤ पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढ्ढे, परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र में समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपने लागल संशोधित करेगी जो कि समय≤ पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अन्तर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाय जो निम्नवत् हैः-

अ-उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0बी0 द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 में जमा किया जायेगा।

ब-यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अन्तर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्रित की जायेगी जो कि उसी क्षेत्र विशेष का स्वामी है। और सेप्टिक टैंक और सलज के गढ्ढे से सम्बन्धित है।

सारणी-2 उपभोक्ता लागतः

पालिका क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ्ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टिक टैंक ओबर-प्लो तो नहीं हो रहा है तुरन्त पालिका का सुपरवाईजर को भेज कर जांच करवायेगी। इसके अलावा पालिका में सेप्टिक टैंक को खाली कराने के आवेदन के आपने पर पालिका द्वारा जांच कराई जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है, और उसके खाली करने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।

2.1-1000 सीवर सलज क्षमता व 2000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंकर से प्रति चक्कर निम्न प्रकार धनराशि ली जायेगीः-

1.	एस0टी0पी0 शुल्क-	रू0-1000.00
2.	टैकर किराया-	रू0-5000.00
3.	मजदूरी-	रू0-4000.00

8-मैकनिजय का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1-कोई भी व्यक्ति जो एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ्ढे या सामुदायिक संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2-मल निस्तारण का अनुमान न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के कोष में जमा की जायेगी।

8.3-यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक से खाली होने पर अभिलेख रखेगे।

8.4-अवचेतना कार्यक्रम समय≤ पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या नीजि व्यवसाइयों के सेप्टिक टैंक बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9-दण्ड

दण्ड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट/आर0एन0एन0 का रजिस्ट्रीकरण न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना पर दण्ड देय होगाः-

क्र0स0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा शिकायत	1000	2000	03 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीरकरण
2	सेप्टेज/फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	06 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	5000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 03 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना।
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवं जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	1500	2000	

अनिल पंत,
अधिशासी अधिकारी।

सुरेन्द्र लाल,
अध्यक्ष।

कार्यालय नगर पालिका परिषद–(चम्पावत)

"प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम–2021

16 फरवरी, 2022 ई0

पत्रांक संख्या–553/गजट/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनांक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद (चम्पावत) की बोर्ड बैठक दिनांक 12.08.2021 को पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम–2021 बनाये जानें की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा हैं।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम– 2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग,को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद चम्पावत में प्रस्तुत कर सकता हैं, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत हैः–

परिभाषा :–

1– संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :– यह उपनियम नगर पालिका परिषद चम्पावत "प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम– 2021, नियमावली कहलायेगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पालिका परिषद चम्पावत की सीमा के भीतर लागू होगें।

2– नगर पालिका – नगर पालिका का आशय, नगर पालिका परिषद चम्पावत के परिसीमन 2018 के उपरान्त 09 वार्डो की सीमा से हैं।

3– अधिशासी अधिकारी– अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद चम्पावत के कार्यपालक अधिकारी से हैं।

4– अध्यक्ष– अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद चम्पावत के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं, बोर्ड के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5– सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल–सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पालिका परिषद चम्पावत में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी चम्पावत होगें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चम्पावत सदस्य सचिव होगें और अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा नामित प्रतिनिधि/अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद चम्पावत नामित सदस्य होगें।

1–प्रसंग :– राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैकं और अवधीय जो डिजाईन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज/फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गडढ़े शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1–राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति :–

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत–सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ्य वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है,ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षैत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल :–

माननीय एन0जी0टी0 के आदेष सं0–10/2005 दिनॉक 10–12–2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैकं में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें ओर इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पालिका परिषद चम्पावत की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें। आदेश सं0 597/(iv(2)–ष0वि0–2017–50(सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार, सैप्टिज/ फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी कियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक ,,सेप्टज मैनेजमैन्ट सैल,, का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद चम्पावत, पेयजल निगम, जल संस्थान होगें।

2–नगरीय उपकानून /"फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरण :– सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0 सं0–597/ (iv) (2)– श0 वि0– 2017–50 (सा0) /16 दिनॉक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय–2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद चम्पावत नियमित ढॉचे को रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहॉ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद चम्पावत, के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3–उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :– इस नियमावली के उद्देश्य एव कार्य निम्नवत है:–

1– निर्माण सैप्टिक टैकं के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखव जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है।

2–क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढ्ढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।

3–उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4–लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।
5–निजि और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4–एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनाना ।

4–(1)सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :–

•सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार–2 के आखिर में जो डिजाईन है जो कोई भी पहले आये,

••जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैकंर का उपयोग (जो नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है)_नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

•••सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैकं के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें।

4(2)सैप्टज/फिकल स्लज का परिवहन :–

1– फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय–2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2)फिकल स्लज ओर सैप्टज फिकल निर्माता यह आष्वासन देगें कि :–

(अ) पंजीकृत संग्रंह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें।

(ब)कोई भीं टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3)सैप्टज का निष्पादन ओर इलाज–राज्य सैप्टंज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद चम्पावत की अपनी एक ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सेप्टेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5– सुरक्षा उपाय :–

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।

(2)फिकल स्लज और सैप्टिज टान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें–

(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोकिन, लोयस, रबर बूट, चेहरे का मास्क, ऑखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजंर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

(ब)समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें।

(स)समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये।

(द) प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है,इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

(य)सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है। उस समय धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है।

(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढ्ढे में प्रवेश नही करेगें और आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा पिट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6–सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन :–

6.1 नगर पालिका परिषद चम्पावत परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजी व्यवसायियों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और

उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद चम्पावत के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।

6.2 नगर पालिका परिषद चम्पावत सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा, जोकि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है। जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रान्सपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है।

सारणी–1 पंजीकरण व्यय

अ–प्रारम्भिक पंजीकरण–	रू0 3,000=00 प्रतिवाहन/गाडी
ब–वार्षिक नवीनीकरण–	रू0 2,000=00 प्रतिवाहन/गाडी
स–नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन –	रू0 1,500=00 प्रतिवाहन/गाडी
द–अन्य संषोधन आवश्यकतानुसार –	रू0 1,000=00 प्रतिवाहन/गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)

7–उपभोक्ता लागत और इसका संचयः–

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद चम्पावत में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय–2 पर दर्शाया गया है। जो कि सेप्टिक टैकं के भरने शौचालय के गढ्ढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 नगर पालिका परिषद चम्पावत अपनी लागत से संषोधित करेगा जो कि समय–2 इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निश्कासन हेतु है।

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है।

(अ)–उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद चम्पावत के कोश में जमा किया जायेगा, जोकि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

(ब)–उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

सारणी–2 उपभोक्ता लागत

	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गढ्ढे हेतु निर्धारित है।	मासिक दण्ड 1–5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
क0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	कम से कम 2–3 वर्ष मे एक–बार जब 2 टैंक होते है 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार।	250=00
1–	टीनशैड वाला मकान	4,000=00		300=00
2–	अन्य समस्त मकान	4,000=00		300=00
3–	दुकान	5,000=00		300=00
4–	सरकारी/निजि कार्यालय	5,000=00		300=00
5–	बैंक	5,000=00		300=00
6–	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	4,000=00		400=00
7–	रेस्टोरेन्ट	4,000=00		300=00

8–	होटल/गेस्ट हाउस (1–10 कमरे)	5,000=00		500=00
9–	होटल/गेस्ट हाउस (11 कमरो से अधिक	7,000=00		700=00
10–	धर्मशाला (1–25 कमरे)	4,000=00		400=00
11–	सरकारी स्कूल/कॉलेज	2,500=00		250=00
12–	निजि स्कूल/कॉलेज	5,000=00		300=00
13–	20 व्हीलर व्हीकल शौरूम	5,000=00		300=00
14–	विवाह हाल/बैकंट हाल	5,000=00		500=00
15–	बार	5,000=00		500=00
16–	सरकारी हॉस्पिटल	3,000=00		300=00
17–	नर्सिगं होम/क्लीनिक	3,000=00		300=00
18–	पैथोलॉजी लैब	2,500=00		250=00
19–	निजी अस्पताल 20 बैड तक	5,000=00		500=00
20–	चॉवल मिल/अन्य मिल	5,000=00		500=00

नोट–: उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा निर्गत किये जायेगें।

2–मल निस्तारण समयावधि में होगा,या जब टैकं 2/3 की आपूर्ति कर देता है।
(जैसा कि नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा स्वीकृत है)

3–उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8–मैकेनिजम का निरीक्षण,क्रियान्वयन और मजबूती देना :–

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0(सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पालिका परिषद चम्पावत द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैकं एवं हर एक मकान के शौचालय, गढ्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पालिका कोश में जमा होगी।

8.3 नगर, पालिका परिषद चम्पावत क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैक, बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैकं का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज।

9–दण्ड:–

दण्ड का ढॉचा उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।

सारणी–3 दण्ड

क0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टतया पकडी गई वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1–	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	3,000=00	8,000 = 00	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण।
2–	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000=00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना।	

3–	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।	2,000=00	4000=00	आर0 टी0 ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना।

शास्ति/दण्ड

नगर पालिका परिषद चम्पावत की सीमान्तर्गत "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनॉक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोषी सिद्व पाये जाने पर रू0 5,000=00 (पॉच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्व होने की स्थिति में रू0 5,000=00 (पॉच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100=00 (एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे–खर्चे की वसूली भू–राजस्व की भॉति वसूल की जायेगी। विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला चम्पावत होगा।

भूपेन्द्र प्रकाश जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद–चम्पावत।

विजय वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद–चम्पावत।

कार्यालय नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी, उत्तरकाशी

07 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक–522/21–सेप्टेज उप0 प्रका0/2019–20–नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–298 जो (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज)(च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा–128 की उपधारा–1 (ii)(iii) शक्तियों का प्रयोग करते हुये **"फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020** बनायी गयी जो नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत तथा नगरपालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 20.06.2020 में पारित प्रस्ताव संख्या–03 (प्रस्तर 34) के निमित जन सामान्य एवं जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे दिनांक 30 अक्टूबर 2020 तक आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से पालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय–1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) यह उप–नियम नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी **फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020** कहलाऐगा।

(2) यह उप–नियम नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।

4. उप–नियम नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी की सीमाओं के भीतर लागू होगा।

1. **प्रसंग:**

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/फेकल सलज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार "राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 घोषित की गई है जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकतों और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी मे "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क

किसानों में वितरित की जायेगी। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा; इसके लिये प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके। आदेश संख्या–597/4(2)–यू0डी0–2017 –50/16, दिनांक 22.05.2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल बाडाहाट उत्तरकाशी शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उप कानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरण:

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या–597/IV(2)–श0वि0–2017–50(सा0)/16 दिनांक 22–5–2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगरपालिका परिषद बाडाहाट उत्तरकाशी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उदेश्य एवं कार्यक्षेत्र:

नियमावली के उदेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है:

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रख–रखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

• सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे। जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में

जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का शख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।
2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर की अपनी एक इकाई होगी। इस निकाय का एस0टी0पी0 उत्तराखण्ड जल संस्थान उत्तरकाशी का ज्ञान्सू में स्थित है में परिवहन किया जाएगा।

5. सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी सयंत्र,सुरक्षा,उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे। समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा। इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेंगे। जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा।
2. मल निस्तारण कार्यकर्त्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा एवं टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का

लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट–ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1: पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0बी0 द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 मे जमा किया जायेगा।

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः–

नगरपालिका क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैक ओवर–फ्लो तो नही हो रहा है तुरन्त नगरपालिका से सुपरवाईजर को भेज कर जांच करवायेंगे। इसके अलावा नगरपालिका मे सेप्टिक टैंक को खाली कराने के आवेदन के आने पर नगरपालिका द्वारा जांच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे। तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।

1:–	नगरपालिका/जल संस्थान के सीवर टैकर की क्षमता	2 एम0एल0टी0
2:–	पालिका सीमा के भीतर	रू0 2500/– प्रति सोक पिट एवं फेरा, तथा रू0 1000/– पर क्यूम मीटर भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा करेगा। सैप्टिक टैंक मे ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 500/–रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।
3:–	पालिका सीमा के बाहर	रू0 3000/– प्रति सोक पिट एवं फेरा, तथा रू0 1000/– पर क्यूम मीटर के आधार पर भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा करेगा। सैप्टिक टैंक मे ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प चात दूसरे फेरे मे 500/–रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

4:– नगरपालिका द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिंक टेंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बधित सैप्टिक टैंक मे 4000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगरपालिका मे जमा की जायेगी ।

8.3 यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट/आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

एच.एस.रौतेला,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
बाडाहाट उत्तरकाशी।

रमेश सेमवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
बाडाहाट उत्तरकाशी।